

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक:-18.10.24

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा, वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, जयपुर को तत्काल प्रभाव से अपनी उपस्थिति, आदेशों की प्रतीक्षा में, वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर में देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. संबंधित अधिकारी।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव